5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R-412-PBR/2011 /2011 जिला–इन्दौर

श्री संतोष पुत्र श्री शंकरप्रसाद दुबे, निवासी– 57, नारायणबाग, इन्दौर (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इन्दौर

(2) रूमित कन्ट्रक्शन प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस 57, नारायणबाग, इन्दौर द्वारा डायरेक्टर श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष दुबे

.... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/03–04 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2005 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभा० ....रा आज दि. 15.3.11 को ...तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15.3.11
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

82
15.3.11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 412–पीबीआर/2011 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/12/12	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 87/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 29–11–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15–3–2011 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा निगरानी मेमों के साथ वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और आज दिनांक भी वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः आवेदकपक्ष द्वारा वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है ।	
	अध्यक्ष	